

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त
विवरण

जनपद नैनीताल में राज्य योजना
के अन्तर्गत मंगोली खमारी थापला
जलालगँव से देचोरी तक मोटर मार्ग
का नव निर्माण। लम्बाई 7.00 किमी०

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप

मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत

रु० 245.00 लाख।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य

मोटर मार्ग का नव निर्माण

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है

लगभग 50 लोगों को रोजगार प्राप्त
होगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण

आरक्षित वन भूमि

नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल-3.150हे०

रामनगर वन प्रभाग रामनगर- 1.170हे०

4.320हे०

वन पंचायत भूमि

नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल-0.360हे०

रामनगर वन प्रभाग रामनगर- 0.765हे०

1.125हे०

योग - 5.445हे०

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

कोई नहीं

क) परिवारों की संख्या

-2-

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ?

(हां/नहीं)

: नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा

: सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

दिनांक 10-8-2010

स्थान नैनीताल

सहायक अभियन्ता
प्रा.लोच अण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम प्रवीण बहुराणी
अधिकासी अभियन्ता

मोहर प्रान्तीय अण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

वन क्षेत्र अधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग

119

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली खमारी थापला जलालगौव से देचोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र- उत्तराखण्ड नैनीताल
- ii) जिला- नैनीताल
- iii) वन प्रभाग- नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 3.51086
- v) वन की कानूनी स्थिति मंगोली/देचोरी
- vi) हरियाली का घनत्व 4
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि बूझों की 12-15 सेल/है।
श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक/आठ/एल - 8 नी 0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए
- viii) भूस्तरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। 2 संलग्न रिपोर्ट सेल/है
- ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी 120मी/120मी
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) 127
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। 127
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या 127

- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। 457
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। 157
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। 5125
 - ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। 5125
 - iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
 - iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। 45 38874920
 - v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) 7515

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 629400 ई
- ii. जिला का वन क्षेत्र। 402640 ई

- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से 223 आने 42.16982 के 1/1/1980 से 1/1/1980/99
वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 218 माह माह के हैं
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल
प्रतिवृत्त वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित
वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
200.5 तक प्रतिपूरक वनीकरण
में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर

675.7386

579.84286

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने
के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

जिला वन अधिकारी नैनीताल

दिनांक 21-5-2012

उप प्रभाग वन अधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

स्थान

हस्ताक्षर

प्रभागीय वन अधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग

नाम

सरकारी मोहर



भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान:- जलपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगीली-त्वारी
चपला: जलपद नैनीताल से देवोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड नैनीताल
- ii) जिला नैनीताल
- iii) वन प्रभाग राजनगर वन प्रभाग राजनगर
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
- v) वन की कानूनी स्थिति 1.170 हेक्टेयर वन भूमि
- vi) हरियाली का घनत्व 0.3
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए संलग्न है
- viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। नहीं
- ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी वन सीमा से लग कर है
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाए) नहीं
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। नहीं
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या नहीं

- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य ~~नहीं~~ और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। ~~नहीं~~
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। ~~सेलम है~~
 - ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। ~~हाँ~~
 - iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। ~~संलग्न कि प्रमाण संलग्न~~
 - iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए फुल वित्तीय परिव्यय। ~~सेलम है~~
 - v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। ~~सेलम है~~
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) ~~नहीं~~

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। ~~4251 वर्ग कि० मी०~~
- ii. जिला का वन क्षेत्र। ~~2591.43 वर्ग कि० मी०~~

- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 149.59 हे०
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण ~~रिक्त~~
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति 141.59 हे०
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

मातापिता की सुविधा हेतु

दिनांक 29.11.2014

स्थान रामनगर

वनक्षेत्राधिकारी
कालाढूंगी वनक्षेत्र कालाढूंगी
रामनगर वनप्रभाग रायबरेल

हस्ताक्षर

नाम पी० एस० श्रीवास्तव

सरकारी मोहर
प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

मंगोली राष्ट्रीय व्यापक जलालगीत से दूसरी मरी (19) (20)
 के निर्माण हेतु 3.510 हे० वन भूमि का लोनिनिवि को सतबस
 अर्द्धित वन भूमि- 3.150 हे०
 वन पचायत भूमि- 0.360 हे०
 योग- 3.510 हे०

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है 1.1.1. नैनीताल द्वारा दिनांक 9-9-2012 को निरीक्षण किया, निरीक्षण नोट संलग्न है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। सहमत
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में प्रभागीय अधिकारी, नैनीताल के आरक्षी के अनुसार संस्कृति की जाती है, सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि 18-10-2012

स्थान नैनीताल

हस्ताक्षर:

विकास अधिकारी, नैनीताल
 वन विभाग, नैनीताल
 सरकारी मोहर

पंगोली - खमारी - जलालगंज से हरेचोरी मार्ग के निर्माण
हेक्ट्र 1.935 हैं वन भूमि का जो 0.765 है वन संरक्षण ① ②

भाग-III

आरक्षित वन भूमि - 1.170 हे०
वन पंचायत भूमि - 0.765 हे०
योग 1.935 हे०

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।

नहीं।

- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।

सहमत।

- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों
के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर के
सारण। रिपोर्ट अनुसार संस्तुति की
जाती है।

हस्ताक्षर:

तिथि 29/3/12

स्थान मैनीताल।

वन संरक्षक
नाम और पदनाम
पद्मनाभ बसु, उत्तराखण्ड
सरकारी मोहर
मैनीताल.

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर